22.10.24 पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी वकील उप.।

विप्रार्थीगण का सुनवाई हेतु इंतजार बाद पत्रावली

तारीख 5.11.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

5.11.24 पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी वकील उप.।

विप्रार्थीगण का सुनवाई हेतु इंतजार बाद पत्रावली

तारीख 19.11.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

19.11.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.।

शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय क़ार्यवाही अमल में लाई जाती है।

स्थगन प्रार्थना पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्राथीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा ग्राम सड़ा धनजी के खसरा संख्या 514 रकबा 1.7151 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 587 रकबा 4.3362 हैक्टयर का आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा तथा विप्रार्थी सं. 1 से 2 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा व विप्रार्थी सं. 3 से 6 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा [illegible] इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी [illegible] हुई है, तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाडा [illegible] हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेडो को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे कास्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेडो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested.

की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामलाती भूमि के कब्जे को लेकर है, जंहा तक प्रार्थीगण वकील की दलील है कि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की सामलाती भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जाता है, इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा के ग्राम सड़ा धनजी के खसरा संख्या 514 रकबा 1.7151 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 587 रकबा 4.3362 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रार्थीनीगण के हिस्से तक की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested